न्यायालय उपजिला कलैक्टर,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी –पवन कुमार (आर.ए.एस.)
वाद संख्या:–05/2020

बलजीत कौर पत्नी नक्षत्र सिंह जाति मजबीसिख साकिन मोहनपुरा जिला श्री गंगानगर

———प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

————अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम

::निर्णय:: दिनांक–28.10.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया बलजीत कौर पत्नी नक्षत्र सिंह जाति मजबीसिख निवासी मोहनपुरा श्री गंगानगर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम जमीन की जमाबंदी में बसों कौर दर्ज हो गया है अतः प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजों में नाम बलजीत कौर है प्रार्थीया ने नाम दुरूस्थ करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तहसीलदार अनूपगढ से उक्त के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ चक 13 एमडी बी के प.नं.–82/4 का किला नं. –23/1 का 0.169 हैक्टर, 24/2 का 0.168 कुल 0.337 हैक्टर व चक 13 एमडी ए प.नं.–81/8 का किला नं.–1 का 0.253 हैक्टर, किला नं.–2 का 0.253 हैक्टर कुल 0.506 हैक्टर कमाण्ड बसो कौर पुत्री महेन्द्र सिह जाति मजहबी सिख खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबा जरिये ईंतकाल संख्या–121 किस्म विरासतन व ईंतकाल सं.–140 किस्म विरासतन दिनांक 04.02.2008 द्वारा पालकौर, बशोंकोर वगेरह पिसरान महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज हुआ। प्रार्थिया के आधार कार्ड–मतदाता पहचान पत्र में बलजीत कौर पत्नी नक्षत्रसिंह अंकित है मौका पर पूछताछ एवं सरपंच ग्राम पंचायत रिपोर्ट अनुसार बन्सोकोर पुत्री महेन्द्रसिंह एवं बलजीतकोर पत्नी नक्षत्रसिंह एक ही महिला के नाम है।

पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात पर मनन करने के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 13 एमडी बी के प.नं.–82/4 का किला नं.–23/1 का 0.169 हैक्टर, 24/2 का 0.168 कुल 0.337 हैक्टर व चक 13 एमडी ए प.नं.–81/8 का किला नं.–1 का 0.253 हैक्टर, किला नं.–2 का 0.253 हैक्टर कुल 0.506 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थीया का नाम बंसोकोर के स्थान पर बलजीत कौर का अंकन किया जावें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.12.26 15:04:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner